सं०सं0–1/विविध–57/2017– 1314(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 22 / 11 /2017

विषयः– दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा के भवनों एवं पहुँच पथों आदि के विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल प्राक्कलित राशि रु0 4,05,03,200/–(रुपये चार करोड़ पाँच लाख तीन हजार दो सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में व्यय शीर्ष में परिवर्तन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–235(1) दिनांक–11.03.2006 द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा के भवनों एवं पहुँच पथों आदि के विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल प्राक्कलित राशि रु0 4,05,03,200/–(रुपये चार करोड़ पाँच लाख तीन हजार दो सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2– उक्त स्वीकृत्यादेश सं0–235(1) दिनांक–11.03.2006 के अनुसार योजना राशि के व्यय का वहन गैर–योजना व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0002–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, विपत्र कोड–एन2210011100002 के अन्तर्गत अनुरक्षण मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के गैर–योजना आय–व्ययक उपबंधित राशि से होना था।

3– उपरोक्त कार्य भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कराया गया है/कराया जा रहा है। अतः अब उपर्युक्त योजना की शेष राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–3, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघुशीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष– 115–मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–03–4210031050115 अंतर्गत 0115.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4– तदनुसार भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8457(भ.) दिनांक–19.09.2017 के आलोक में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा के भवनों एवं पहुँच पथों आदि के विभिन्न अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल प्राक्कलित राशि रु0 4,05,03,200/–(रुपये चार करोड़ पाँच लाख तीन हजार दो सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में व्यय शीर्ष में उपरोक्त कंडिका–3 के अनुरूप परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा होंगे।

क्रमशः

6– भवन निर्माण विभाग, स्वीकृत्यादेश सं0–235(1) दिनांक–11.03.2006 में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे।

7– इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–57/2017 के पृष्ठ–........../टि0 पर प्राप्त है।

8– राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9– यह मात्र राज्यादेश/स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

10– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/11/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:–1/विविध–57/2017–1318(1) /स्वा0, पटना, दिनांक–22/11/2017

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा/प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/11/17

सरकार के विशेष सचिव